पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 12.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः-12.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर की संयुक्त पुलिस टीम ने 80 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 11.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर उ0नि0 श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई।

उ0नि0 ऋषी शुक्ला के नेतृत्व में प्रथम पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त विक्की गुप्ता पुत्र लखन लाल गुप्ता उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम नैगुंवा थाना नौगाँव जनपद छतरपुर म0प्र0 जिसके कब्जे से 45 अदद क्वार्टर बन्टी बबली ब्राण्ड ठेका देशी शराब बरामद करते हुए बिजौरी बैरियर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 78/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

इसी क्रम में उ0नि0 आकाश मौर्य के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त वीरपाल राजपूत पुत्र राजबहादुर राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम बचेवरा सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 35 अदद क्वार्टर बन्टी बबली ब्राण्ड ठेका देशी शराब नाजायज बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 79/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

(प्रथम पुलिस टीम) 1. उ0नि0 ऋषी शुक्ला 2. का0 विक्की चौधरी
(द्वितीय पुलिस टीम) 1. उ0नि0 आकाश मौर्य 2. का0 अजय सोनकर

ई-रिक्शा के सत्यापन/चेकिंग अभियान के अंतर्गत 01 ई-रिक्शा सीज, 12 ई-रिक्शों का हुआ चालान-

नौनिहालों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ई-रिक्शों की भी हुई जांच-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुदृढ बनाये जाने के उद्देश्य से जनपद में ई-रिक्शों का भौतिक सत्यापन कर उनको यूनिक आईडी प्रदान किया जा रहा है।

अभियान के क्रम में आज दिनांक- 12.04.2025 को प्रभारी यातायात पुलिस श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा अपराध की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आज एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत ई-रिक्शा चालकों के दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया की गई, जिसमें कुल 01 ई-रिक्शा सीज किया गया एवं 12 ई-रिक्शों के चालान किए गए।

चेकिंग के दौरान यह भी देखा गया कि कई ई-रिक्शा चालक बिना उपयुक्त कागजात एवं सुरक्षा मानकों का पालन किए सवारी कर रहे थे। यातायात नियमों के उल्लंघन पर संबंधित चालकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की गई है।

इसके साथ ही, स्कूली बच्चों को ले जाने वाले रिक्शों की भी विशेष जांच की गई। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके वाहनों की स्थिति, चालकों के लाइसेंस एवं अन्य अनिवार्य दस्तावेजों की गहनता से जांच की गई। जहां भी लापरवाही पाई गई, वहां नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गई है।

जनपीदय यातायात पुलिस टीम का यह अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा ताकि शहर में सुरक्षित एवं सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह कां0 मुकेश सिंह व कां0 नरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 602/24 धारा 376/504/406 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वाँछित अभियुक्त इम्तियाज अहमद पुत्र निहाल अहमद उम्र 35 वर्ष निवासी कमरा नं0 551 ब्लाक संख्या 46 बिच्छू पहाड़िया कांशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को प्राईवेट बस स्टैण्ड छतरपुर रोड महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी भटीपुरा
2. कां0 मुकेश सिंह
3. कां0 नरेन्द्र कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त –

इम्तियाज अहमद पुत्र निहाल अहमद उम्र 35 वर्ष निवासी कमरा नं0 551 ब्लाक संख्या 46 बिच्छू पहाड़िया कांशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना समाधान दिवस के अवसर पर सुनी गयी फरियादियों की समस्यायें, प्राप्त हुयी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण हेतु सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश ।

आज दिनांक- 12.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त थानों पर जनसुनवाई की गयी इस दौरान फरियादियों से उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया जिसके क्रम में उनकी समस्याओं के समाधान हेतु वहां मौजूद संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करते हुये मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त हुयी सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर किया जाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए जिससे आमजनमानस को बिना वजह परेशान होना पड़े।

जनपदीय पुलिस व प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल / थाना पर थाना समाधान दिवस आयोजित कर जनता की समस्याओं को सुना गया तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करते हुए उनके त्वरित व विधिक निस्तारण हेतु संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

- **जनपद महोबा में आगामी डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जंयती को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु पुलिस प्रशासन सख्त।**
- **सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट/भ्रामक खबरों को वायरल करने से बचें, अन्यथा जायेगें जेल**

आगामी दिनांक 14.04.2025 को डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जंयती व इसके उपलक्ष्य में आयोजित किये जाने वाले समस्त कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में पुख्ता इंतजाम किये गये है। जिसके क्रम में जनपद के समस्त थानों पर पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन कर शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों से सभी आयोजकों को अवगत कराया गया है।

जनपद के समस्त थाना क्षेत्र में कुल 26 मूर्तियां स्थापित है। जिनकी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत प्रत्येक थाना स्तर पर जनसहयोग के माध्यम से **सीसीटीवी कैमरों का व्यवस्थापन** करते हुये **निगरानी समिति** का गठन किया गया है, जिनके द्वारा 24x7 मूर्ति पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है।

जनपदीय मीडिया सेल टीम द्वारा भड़काऊ **सोशल मीडिया पोस्ट व वीडियो बयान जारी करने,** साजिश रचने व माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वाले शरारती तत्वों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही आमजन से अपील की जा रही है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी थाने को दें, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, महोबा पुलिस शांति व सद्भाव बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 12.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने व सम्मानित समाज सुधारक व्यक्तित्व के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल।

दिनांक 11.04.2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से थाना कुलपहाड़ क्षेत्रान्तर्गत कुछ युवको द्वारा एक सम्मानित समाज सुधारक व्यक्ति के विरुद्ध अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुये एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुये थाना कुलपहाड़ पर मु0अ0सं0 99/2025 धारा 352/353(2)/296(बी) BNS व 67 IT ACT का अभियोग पंजीकृत कराते हुये सम्बन्धित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के संयुक्त नेतृत्व में थाना स्तर पर पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

गठित टीम के द्वारा श्रीनगर तिराहा कस्बा बेलाताल से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्त 1. राघवेन्द्र उर्फ मोनू राजपूत 2. सतेन्द्र अहिरवार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल भेजा जा रहा है।

सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस प्रशासन सख्त।

सभी से अपील है कि सभी त्यौहारों को हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न करें और सामाजिक सौहार्द बनाने में अपना सहयोग दें।

सभी नागरिकों को सचेत किया जाता है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी को भी अनुमाति नही है और यदि किसी के द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया जायेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

@MahobaPolice